संख्या- 66/2026/838/छप्पन-2026-153/2000

प्रेषक,

निखिल टीकाराम फुंडे,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0 लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 18 अगस्त, 2026

विषय: राजकीय हेलीकाप्टर बेल 412 ई0पी0 वी0टी0-यू0पी0ओ0 के Twin Pack Assembly को Standard Exchange के आधार पर क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 139/ना0उ0नि0/इंजी/यू0पी0ओ0/16-आई/2026 दिनांक 07 अगस्त, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पूर्व में प्राप्त स्वीकृति 39/2026/350/छप्पन-2026-153/2000 दिनांक 30.3.26 के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 में M/s Pratt & Whitney, Canada को राजकीय हेलीकाप्टर बेल 412ई0पी0 वी0टी0-यू0पी0ओ0 Twin Pack Assembly (Twin Engine Section एवं Reduction Gear Box) को Standard Exchange के आधार पर क्रय किये जाने हेतु धनराशि 95,52,400.00 की अतिरिक्त धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि 12,71,52,827.00 (बारह करोड़ इक्कहत्तर लाख बावन हजार आठ सौ सत्ताइस मात्र) की वित्तीय/अग्रिम आहरण एवं भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 07 अगस्त, 2026 में उल्लेख किया गया है कि फर्म को उक्त यूनिट की सम्पूर्ण धनराशि Exchange Value USD 21,46,000.00 + Freight Charges USD 25,000.00 कुल धनराशि USD 21,71,000.00 का सम्पूर्ण भुगतान Letter of Credit के माध्यम से भुगतान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण इस प्रकार हैः-

| Sno. | Particulars | Proforma Invoice No | Date | USD Amount | Rate | INR Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pratt & Whitney, Canada | PWCSEA-20261806<br>Add :Freight Charges | 30-03-26 | $2,146,000.00<br>$25,000.00 | | |
| | | | Total | $2,171,000.00 | $97.00 | ₹ 210,587,000.00 |
| | | Add :10% Margin of Rs. 210587000.00 | | | | ₹ 21,058,700.00 |
| | | Custom Duty : | | | | ₹ 17,850,000.00 |
| | | Insurance : | | | | ₹ 259,052.00 |
| | | | | | | ₹ 249,754,752.00 |

पूर्व में प्राप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 24,02,02,352.00 एवं वर्तमान में प्रस्तुत प्रस्ताव धनराशि 24,97,54,752.00 जिसके अन्तर्गत धनराशि 95,52,400.00 की अतिरिक्त धनराशि की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। यह अतिरिक्त धनराशि (95,52,400.00) विनिमय दर में बढ़ोत्तरी के कारण है।

3- अवगत कराना है कि राजकीय हेलीकाप्टर Bell 412EP VT-UPO के Twin Pack Assembly (Twin Engine Section एवं Reduction Gear Box) को Standard Exchange के आधार पर क्रय किये जाने हेतु कुल व्यय रू0 24,02,02,352.00 (रूपये चौबीस करोड़ दो लाख दो हजार तीन सौ बावन) मात्र की प्रशासकीय, वित्तीय स्वीकृति एवं फर्म को क्रयादेश निर्गत करने की स्वीकृति तथा हेलीकाप्टर से निकाले गये Unserviceable Twin Pack Assembly को इंजन निर्माता फर्म के रिपेयर स्टेशन Montreal Canada भेजने की भी अनुमति प्रदान करने के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में M/s. Pratt & Whitney, Canada को 50 प्रतिशत की धनराशि रू0 10,09,51,500.00 एवं 10% मार्जिन मनी की धनराशि रू0 1,00,95,150.00 अर्थात् कुल रू0 11,10,46,650.00 के अग्रिम आहरण एवं भुगतान की स्वीकृति एवं कुल अनुषांगिक व्यय रू0 1,81,09,052.00 के सापेक्ष रू0 1,15,55,275.00 के अग्रिम आहरण एवं भुगतान की स्वीकृति अर्थात कुल धनराशि रू0 10,09,51,500.00+1,00,95,150.00+ 1,15,55,275.00= 12,26,01,925.00 (रू0 बारह करोड़ छबीस लाख एक हजार नौ सौ पचीस मात्र) के अग्रिम आहरण एवं भुगतान की स्वीकृति शासनादेश संख्या 39/2026/350/छप्पन-2026-153/2000 दिनांक 30.03.2026 द्वारा निर्गत की गई थी।

4- **इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदया** पूर्व में शासनादेश संख्या-39/2026/350/छप्पन-2026-153/2000 दिनांक 30.03.2026 द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 में M/s Pratt & Whitney, Canada को राजकीय हेलीकाप्टर बेल 412ई0पी0 वी0टी0-यू0पी0ओ0 Twin Pack Assembly (Twin Engine Section एवं Reduction Gear Box) को Standard Exchange के आधार पर क्रय किये जाने हेतु USD की विनियम दर में बढ़ोत्तरी के कारण रू0 95,52,400.00 की अतिरिक्त धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि 12,71,52,827.00 (बारह करोड़ इक्कहत्तर लाख बावन हजार आठ सौ सत्ताइस मात्र) की वित्तीय/अग्रिम आहरण एवं भुगतान की स्वीकृति **निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-**

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(8) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय से संबंधित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/आदेशों/ प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(11) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जायेगा।

5- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखा-लेखाशीर्षक "5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04-हेलीकाप्टर/ वायुयान की विशेष मरम्मत के मानक मद 42-अन्य व्यय" में प्रावधानित धनराशि से वहन किया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-E-7-40-X-2026-27-दिनांक: 13 अगस्त, 2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

निखिल टीकाराम फुंडे
विशेष सचिव

संख्या: 66/2026/ 838(1)/छप्पन-2026-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ-10

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।